

प्रेसनोट दिनांक 18-10-2020 थाना गगहा गोरखपुर

अवैध तमंचा कारतूस के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर के दिशानिर्देश में व श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय व श्री नितेश सिंह पुलिस उपाधीक्षक बांसगाव के कुशल मार्ग निर्देशन में थानाध्यक्ष राजप्रकाश सिंह के नेतृत्व उ०नि० विनय कुमार मिश्रा मय हमराह कर्मचारी गण के देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी में कलानी चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर खास आकर मिला व बताया कि एक व्यक्ति कलानी से भट्टा होकर जाने वाली क्रासिंग के पास अवैध असलहा के साथ मौजूद है, यदि जल्द किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर हमराही कर्मचारीगण को अवगत कराते हुये मुखबिर को साथ लेकर क्रासिंग के पास पहुंचा, जहाँ से मुखबिर के निशान देही पर क्रासिंग के पास सड़क के किनारे खड़े एक व्यक्ति को पकड़कर नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम वीरेन्द्र यादव पुत्र स्व० रामनारायन यादव निवासी ग्राम मलौली थाना गगहा गोरखपुर बताया जिसकी जामा तलाशी से एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 1 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मु०अ०स० 695/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त वीरेन्द्र उपरोक्त पूर्व में लूट के मुकदमे में थाना बेलीपार से जेल गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

(1) वीरेन्द्र यादव पुत्र स्व० रामनारायन यादव निवासी मलौली थाना गगहा गोरखपुर

अपराधिक इतिहास

- (1) मु०अ०सं० 292/17 धारा 392,411,504,506 भा०द०वि० थाना बेलीपार ,गोरखपुर
- (2) मु०अ०सं० 695/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गगहा , गोरखपुर

बरामदगी

एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 1 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तारी का स्थान व समय

कलानी से भट्टा होकर जाने वाली क्रासिंग के पास दिनांक 18/10/2020 समय 11.05 बजे

गिरफ्तार करने वाले अधि०/कर्म०गण –

- (1) उ०नि० विनय कुमार मिश्रा
- (2) का० शिवकुमार
- (3) का० अंकित कुमार